राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

भारत सरकार, नई दिल्ली

झारखंड, जनसांख्यिकी परिवर्तन
जिला-साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ एवं गोड्डा

रिपोर्ट 2024

झारखंड, जनसांख्यिकी परिवर्तन
जिला-साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ एवं गोड्डा

इस रिपोर्ट को पढ़ने के उपरांत पाया गया कि जनजातीय लोगों कि रोटी, बेटी और माटी को किस प्रकार छीना जा रहा है और साथ ही उनके सांस्कृतिक, धार्मिक और परंपरागत संस्थान में किस प्रकार परिवर्तन किया जा रहा है।

जिला- साहिबगंज

1. स्थिति

साहिबगंज जिला राज्य में कुल जनसंख्या के आधार पर तेरहवें एवं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2001–11) के हिसाब से भी 24 जिलों के बीच तेरहवें स्थान पर है। 1000 पुरुष पर 952 स्त्री के लिंग अनुपात के साथ, यह राज्य में पंद्रहवीं स्थान पर है। जिले में नौ ब्लॉक, अर्थात् साहिबगंज, मंडरो, बोरियो, बरहेट, तालझारी, राजमहल, उधवा, पतना और बरहरवा शामिल हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, जिले में तीन विधानसभा क्षेत्रों में 1349 गाँव और 8 कस्बों का विवरण दिया गया है। जनगणना 2011 के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या 26.80 प्रतिशत था। जनगणना 2011 में कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या और 2010–11 के बीपीएल संशोधन सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण इलाकों में बीपीएल परिवारों का प्रतिशत 86.03 प्रतिशत है।

2. भौगोलिक स्थिति

क. भौगोलिक स्थिति : साहिबगंज जिला झारखंड राज्य के उत्तर–पश्चिमी भाग में स्थित है। यह पश्चिम में बिहार राज्य और उत्तर में बंगाल के मालदा जिले की सीमाओं से सटा हुआ है।

ख. जलवायु और मिट्टी : इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः गर्म और आद्र है। यहाँ की मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है और यह क्षेत्र धान, मक्का, गेहूँ और अन्य फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है।

1. प्रमुख नगर और क्षेत्र

साहिबगंज नगरः यह जिला मुख्यालय है और जिले का प्रमुख नगर है । यह प्रशासनिक, वाणिज्यिक और शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र हैं।

अन्य प्रमुख क्षेत्रः राजमहल, मोती झरना और बरहेट जैसे क्षेत्रों को भी उल्लेखनीय माना गया है।

2. साहिबगंज जिले में कुल 9 ब्लॉक हैं। उनके नाम निम्नलिखित हैं :–

1. साहिबगंज	2. मंडरो
3. बोरियो	4. बरहेट
5. तालझारी	6. राजमहल
7. उधवा	8. पतना
9. बरहरवा	

5. साहिबगंज जिले में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं :–

1. साहिबगंज 2. बरहेट 3. राजमहल

6. साहिबगंज जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियो की उपस्थिति और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय की बेटियों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे जटिल और संवेदनशील हैं। इन विषयों पर प्रकाश डालते हुए, निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है:–

1. बांग्लादेशी घुसपैठियो की उपस्थिति:–

i) साहिबगंज जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियो की सही संख्या का आकलन करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह आंकड़ा लगातार बदलता रहता है और आधिकारिक रिकॉर्ड में इसे पूरी तरह से कैप्चर नहीं किया जा सकता है।

ii) इस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियो की उपस्थिति आमतौर पर अवैध विदेशी प्रवासियों के रूप में होती है।

iii) कब और कैसे बांग्लादेशी लोग साहिबगंज में आए

ऐतिहासिक संदर्भ:

- 1947 के बाद: भारत – पाकिस्तान विभाजन के बाद एक बड़ी संख्या में बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) से लोग भारत आए। हालांकि, साहिबगंज जिले में बांग्लादेशी प्रवासियों का आगमन विशेष रूप से 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के बाद बढ़ा ।
- 1971 से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय, कई लोग संघर्ष और असुरक्षा के कारण भारत के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में शरणार्थी के रूप में आए। झारखंड के साहिबगंज जिला पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है।

iv) आगमन और बसने की प्रक्रिया:

- आर्थिक और सामाजिक कारण: बांग्लादेश में गरीबी, असुरक्षा, और अन्य आर्थिक समस्याओं के कारण कई लोग बेहतर जीवन की तलाश में भारत आए । साहिबगंज जैसे जिलों में सस्ते भूमि और रोजगार के अवसरों की तलाश में इन प्रवासियों ने इसे अपना ठिकाना बनाया।

- अवैध प्रवास और बसाव: प्रारंभिक वर्षों में, कई बांग्लादेशी प्रवासी अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए और विभिन्न कारणों से स्थानीय समाज में समाहित हो गए। इनकी पहचान और कानूनी स्थिति अक्सर विवादित रही है ।

v) वर्तमान स्थितिः

- ❖ पुनर्वास और समायोजनः आजकल, बांग्लादेशी प्रवासियों को विभिन्न सामाजिक और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से समायोजित किया जा रहा है। कुछ लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत वैधता और पुनर्वास प्रदान किया गया है, जबकि अन्य अभी भी अवैध प्रवासियों के रूप में मौजूद है।

- ❖ संथाल परगना के सभी जिलों में आदिवासियों की जनसंख्या लगातार घट रही है अगर हम आबादी का डेटा देखें, तो साफ पता चलता है कि संथाल परगना के सभी जिलों में आदिवासी घट रहे हैं। वहीं, पिछले कुछ सालों में संथाल परगना में मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी तेजी से बढ़ी है। बांग्लादेश बॉर्डर के सबसे करीब के पाकुड़ जिले में पिछले 10 वर्षो में मुसलमानों की आबादी लगभग 40 फीसदी बढ़ गई है। वहीं, पड़ोस के साहिबगंज जिले में मुस्लिम आबादी 37 फीसदी बढ़ गई है। इसके उलट आदिवासियों की आधी आबादी वाले संथाल परगना में अब जनजातियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। 1951 में संथाल परगना की कुल आबादी में जनजातियों की हिस्सेदारी लगभग 45 फीसदी थी जो 1961 में घटकर 38 फीसदी रह गई और उसके बाद प्रत्येक 10 साल में होने वाले जनगणना में आदिवासी जनसंख्या लगातार कम होती गई है।

मा0 सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा
साहिबगंज जनजाति युवाओं से संवाद करते हुए ।

वर्तमान स्थिति–

vi) अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय की बेटियों पर अत्याचारः

- एसटी समुदाय की बेटियों के साथ अत्याचार, जैसे कि एसटी समुदाय की बेटियों के साथ विवाह कर बेटियों को ग्राम मुखिया बनाकर अपना रोजी–रोटी भी इन्ही बेटियों की कमाई से चला रहा है। विशेषकर एसटी समुदाय की जनता बहुत दुखी है। साहिबगंज की बरहेट संथाली उत्तर और दक्षिण के दोनों पंचायत में आदिवासीयों के जमीन को गैर आदिवासी (बांग्लादेशी घुसपैठी) द्वारा हड़पने और आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर 5 हजार ऋण देकर उस पर ब्याज लगाकर 50 हजार बना दिया जाता है ताकि आदिवासी बहु बेटियों ऋण नहीं चुका पाये और उसके बदले आदिवासी बहु बेटियों की जमीन को नोटरी/दानपत्र/धन प्राप्ति के माध्यम से औने–पौने दामों पर खरीद कर अपने नाम कर रहे हैं और आदिवासी सांस्कृतिक भूमि पर व गोचर की भूमि पर मस्जिद बनाया जा रहा है। उसी तरह से मंडरो, बोरियो, बरहेट, तालझारी, राजमहल, उधवा, पतना और बरहरवा प्रखण्ड में जाहेर स्थान पर शमशान घाट बन गया है।
- आदिवासी बेटियों को बहला फुसलाकर शादी कर तीसरी व चौथी पत्नी बनाकर मुखिया बनाया जाता है जो बस नाम मात्र कि मुखिया होती हैं मुखिया का सारा कार्यभार उनका (शौहर), (बांग्लादेशी घुसपैठी) देखता है।
- साहिबगंज जिला का बात करें तो पूरा डेमोग्रफी ही बदल गया है। संथाल परगना क्षेत्र में जमाईपाड़ा (जमाईटोला) जैसे कई ऐसे छोटे–छोटे बस्ती या टोली दिखाई देंगे जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासी बेटियों को शादी करके गाँव बसाया है।
- अगर जिस पहड़िया या आदिवासी परिवार में ज्यादा जमीन जायदात है तो उस घर की लड़कियों को बांग्लादेशी घुसपैठियों ने लव जिहाद के माध्यम से शादी विवाह कर लैंड(जमीन) जिहाद कर रहे है जैसे ताजा उदाहरण में बोरियों प्रखण्ड के भोजपूर में बांग्लादेशी मुस्लिम जनजातियों का जमीन हड़प रहे हैं।
- एट्रोसिटी एक्ट (अत्याचार कानून) लागू होने के बावजूद एसटी समुदाय के लोगों को प्रावधानों के तहत अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, जब एसटी समुदाय के लोग एट्रोसिटी केस दर्ज कराते हैं परन्तु प्रशासन द्वारा इन मामलों को संज्ञान में नहीं लिया जाता है और दर्ज मामलों से भी एट्रोसिटी के सेक्शन को सुपरविजन का हवाला देकर एट्रोसिटी एक्ट को हटा दिया जाता है ।
- साहेबगंज जिला में मानव तस्करी भी धड़ल्ले से चल रही है, विशेषकर कुछ स्थानों

जैसे बोरिया, मंडरो, पतना, बरहेट और तालझारी में ये इलाके मानव तस्करी के लिए प्रसिद्ध हैं । उदाहरण के तौर पर, बोरिया प्रखंड के राणा पाना से 8 लड़कियाँ गायब हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस तरह के कई उदाहरण हैं। हाल ही में, एक घटना सामने आई थी जिसमें बांग्लादेशी मुसलमानों ने आदिवासी लड़कियों को बहलाकर प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की। जब लड़कियाँ उनके झांसे में नहीं आई, तो उन्हें मार दिया गया। इसका एक ज्वलंत उदाहरण (रुबिका पहाडिया) है ।

- साहिबगंज जिला के अनुमंडल राजमहल में ST / SC की जमीन पूरी तरह से बेची जा रही है, जिसमें बड़हरवा, उधवा, पतना, केंदुआ और विशुनपुर शामिल हैं। इन क्षेत्रों की सभी जमीन की खरीद और बिक्री बांग्लादेशी मुस्लिमों को दान पत्र के माध्यम से दी जा रही है।

- जिला साहिबगंज के तालाब स्थानीय रैयत का है, लेकिन इसका कब्जा बंगलादेशी मुसलमानों द्वारा किया गया है। बांग्लादेशी मुस्लिमों द्वारा तालाब में मछली पालन व अन्य कृषि कार्य के लिए उपयोग कर रहे है, जिससे आदिवासी समुदाय व मूलवासियों को पानी की किल्लत एवं अन्य परेशानी झेलनी पड़ रही है।

- अगर साहेबगंज जिला में किसी व्यक्ति को तालाब चाहिये तो भू-राजस्व संरक्षण विभाग अनुमोदन नहीं देता है । परंतु विधायक की अनुसंशा से मिलता है।

- भारत का पहचान पत्र हासिल करने के बाद घुसपैठियों का असली खेल शुरू होता है। वे आदिवासी लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे ब्याह करते हैं और फिर उनकी जमीनें हासिल करने की कोशिश करते हैं। असल में आदिवासी अपनी जमीन किसी को बेच नहीं सकते। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत, आदिवासी अपनी जमीनें लीज पर भी नहीं दे सकते। इसलिए अब घुसपैठियों ने आदिवासियों की जमीन हड़पने का एक नया रास्ता निकाल लिया है। घुसपैठिए, इसके लिए आदिवासियों से दान पत्र कराते हैं यानी डॉक्यूमेंट तैयार करके आदिवासियों से उनकी जमीन दान करा ली जाती है, फिर इन जमीनों पर अवैध काम किए जाते हैं ।
- सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने 1855-1856 में अंग्रेजों के खिलाफ और संथाल क्षेत्र के शोषण के खिलाफ विद्रोह की अगुआई की थी। लेकिन इसी साहेबगंज जिले में भोगना डीह पंचायत में विशेषकर वहाँ पहड़िया जनजाति के लोग रहते हैं। उस क्षेत्र में लगभग 30 गाँव हैं उनमें से 20 गाँव आदिम जनजाति के लोग रहते हैं। इस प्रखण्ड में भी विस्थापित बांग्लादेशी द्वारा पहड़िया

जनजाति और आदिम जनजाति के लोग से जबरन जमीन को दान पत्र के माध्यम से लिया जा रहा है और पहाड़िया जनजाति और आदिम जनजाति बेटियों से जबरन शादी की जा रही है।

मा0 सदस्य डॉ. आशा लकड़ा व आयोग के पदाधिकारियों के साथ साहिबगंज में अनुसूचित जनजाति समाज के विभिन्न समाजिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में।

केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना और राज्य सरकार योजना नहीं पहुंची है।

7. भोगनाडीह पंचायत (बरहेट प्रखंड) में 30 गाँव में से 20 गाँव पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं, जहाँ आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल या अन्य सुविधाएँ नहीं पहुँची हैं।

8. साहेबगंज का आलम यह है कि पंचायत बोरिया प्रखंड के बड़ा रकसों पंचायत में आज तक कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं बन पाया है।

- तिगड़ा में 2.5 किलोमीटर कोई रास्ता नहीं है।
- मटियो माको बस्ती 3 किलोमीटर आने–जाने की कोई सुविधा नहीं है।
- रकसों पंचायत हाट टिकरी पहाड़ बस्ती 11 किलोमीटर कोई रास्ता नहीं है।
- धोबनी बस्ती पहाड़ 2 किलोमीटर कोई रास्ता नहीं है ।
- बोरियों में मासकेबु और छोटा चुर पहाड़ गाँव में पहाड़ी जनजाति के लोग रहते हैं और उन्हें कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है।

- बरहेट प्रखण्ड के मकेवादे और मालेवादे गोडा गाँव में कोई सड़क नहीं है।
- मासकेबु पंचायत में 8 गाँव पहाड़ियों का है जिसमें कोई रोड नहीं है ।
- बोरियों प्रखण्ड के राजधन पंचायत में 09 गाँव है जहां आने जाने के लिए नदी में पुल नहीं है ।
- मंडरों प्रखण्ड के कोहबोरा गाँव से खुटना गाँव की दूरी 03 कि.मी है जहां आने जाने में काफी परेशनियों का सामना करना पड़ता है।
- बरहेट के खेरवा पंचायत में जल जीवन मिशन पूरी तरह से विफल है ।
- लाम गम्हरिया के ग्राम डुमरिया के नया टोला में 8000 लीटर क्षमता वाले जल मीनार बनाया गया है जो नाम मात्र का है जिसे सिर्फ देखने के लिए बनाया गया है। जल मीनार में पानी नहीं रहता है।
- मड़रो प्रखंड के ग्राम पंचायत के तेतरिया में 09 राजस्व ग्राम है उसी तेतरिया गाँव में आदिवासियों का जाहेर स्थान (देव स्थान) को प्रशासन के मिलीभगत से कब्रिस्तान बना दिया गया है।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2024 को साहिबगंज जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक और जनजाति सामाजिक संगठन व ग्रामीण के साथ बैठक में पाया कि–

मौजा– तेतरिया
दाग न०– 399
रकबा 5 कट्ठा 92 डी०
खातियान – देवस्थान या जाहेरथान
जमाबंदी–CO (अंचल अधिकारी) के माध्यम से कब्रिस्तान बना दिया है।

- जाहेरस्थान (जनजाति के देव स्थान) को बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्रिस्तान बनाने के लिए ₹ 28 लाख 83 हजार मात्र जिला प्रशासन के माध्यम से अनुमोदित किया गया था, जिसको आयोग ने साहेबगंज जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक में रोकने का आग्रह किया है।
- इसी मौजा तेतरिया में गोचर की जमीन को SPT ACT (संथाल परगना टेनेंसी एक्ट) के आधार पर क्रय–विक्रय नहीं किया जा सकता है।
- तेतरिया मौजा के आदिवासी समाज इस जमीन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी विवाह, नाच गान एवं गाँव का अन्य कार्यक्रम करने के लिए उपयोग करते थे लेकिन

उस गोचर भूमि पर मस्जिद बना दिया है।

- ऐसी ही स्थिति देवधाम झिल्ली पहाड़िया क्षेत्र में 75 परिवार निवास करते हैं, जिसको आज तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री नल जल योजना, प्रधानमंत्री जन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। जिसका लाभ आज तक उन 75 परिवार को नहीं मिला है। उन 75 परिवार को राशन उपलब्ध नहीं होता है, केवल 08 परिवार के पास लाल कार्ड है।

- साहेबगंज जिला में आदिवासी कल्याण छात्रावास छात्रों की बात करें तो 400 की जगह पर 700 से अधिक छात्र निवास कर रहे हैं। अगर छात्राओं की बात की जाए तो 100 की जगह पर 300 छात्राएं निवास कर रही हैं, इस संबंध में आज तक कोई शासन प्रशासन द्वारा आदिवासी छात्र छात्राओं के तरफ ध्यान नहीं दिया गया और ना ही छात्र छात्राओं के लिए कोई व्यवस्था की गयी। जो उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने में मदद कर सके। इसमे शासन प्रशासन की अनियमितताएं पाई गई ।

मा0 सदस्य डॉ. आशा लकड़ा व आयोग के पदाधिकारियों के साथ
साहिबगंज जिला प्रशासन के साथ बैठक समीक्षा ।

समाधान और जागरूकता

1. इस स्थिति से निपटने के लिए, समाज में जागरूकता लाना और कानूनी उपायों को लागू करने की आवश्यकता है। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को इन मुद्दों पर काम करना चाहिए, ताकि विस्थापितों और कमजोर समुदायों को सुरक्षा और न्याय मिल सके।

2. शिक्षा, कानूनी सहायता, और सामाजिक समर्थन इन समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3. घुसपैठ एक गंभीर मसला है । भारत के सबसे बड़े आदिवासी इलाकों की डेमोग्राफी बदल जाना चिंता की बात है। राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय एक गंभीर सामाजिक मुद्दे के तौर पर स्वीकार करना होगा। आदिवासियों की जमीनों पर अवैध घुसपैठिये कब्जा कर रहे हैं और आदिवासी महिलाओं से शादी करके पॉलिटिकल पावर पर कब्जा किया जा रहा है तथा फेक डॉक्यूमेंट्स से भारत की नागरिकता हासिल की जा रही है तो ये एक राजनीतिक मसला नहीं रह जाता। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की बात है । इन मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें समाज, सरकार, और समुदाय के सभी हिस्सेदारों की सक्रिय भागीदारी शामिल हो ।

उदाहरणः साहिबगंज जिला – पंचायत मुखिया व मुखिया पति :–

क्र.सं	प्रखण्ड	पंचायत	मुखिया	मुखिया पति
01	बरहेट	बरहट संस्थाल	सेनिला हांसदा	मो० आजाद
02	बरहेट	कदमा	एंजेलनहांसदा	मो० जानवेस
03	बरहेट	गोपालडीह	सुनिता टुडू	समनु सेख
04	उधवा	वेगम गंज	ललिता टुडू	मो० उसमान सेख
05	राजमहल	लरती पुर	सुहागिनी सोरेन	मो० सनाउल सेख
06	बरहरवा	सतगाछी	मारथा मालतो (पहाड़िया)	मो0 रहमत विश्वा
07	बरहरवा	मधुवापाड़ा	मंरगाबिटी हांसदा	मो.समीरूल इस्लाम
08	बरहरवा	मयुरकोल	सोना किस्कू	मो० वकिल अंसारी
09	साहेबगंज	जिला परिषद	मोनिका किस्कू	मो० ऐजाज सेख

जिला- जामताड़ा

भौगोलिक स्थितिः

★ स्थानः जामताड़ा जिला झारखंड के उत्तर–पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह जिला झारखंड के पश्चिमी भाग में आता है और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है।

★ सीमाएँः
- उत्तर में: पाकुड़ जिला
- पूर्व में: साहिबगंज जिला
- दक्षिण में: धनबाद और देवघर जिले
- पश्चिम में: झारखंड का दुमका जिला

जनसांख्यिकी परिवर्तनः

➢ जनसंख्या वृद्धिः
- 2011 जनगणनाः जामताड़ा की जनसंख्या 791,042 थी, जिसमें पुरुष 404,830 और महिलाएं 386,212 थीं।
- 2001 जनगणनाः जामताड़ा की जनसंख्या 653,081 थी, जिसमें पुरुष 333,514 और महिलाएं 319,567 थीं।
- जनसंख्या वृद्धि दरः 2001 से 2011 तक जनसंख्या में 21.12 प्रतिशत का वृद्धि देखी गई है।
- जामताड़ा जिले में जनसंख्या स्थितिः 7,91,042 है।

➢ लिंग अनुपातः
- 2011: जामताड़ा में लिंग अनुपात 955 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष था।
- 2001: लिंग अनुपात 958 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष था।
- परिवर्तनः लिंग अनुपात में थोड़ा सा बदलाव आया है, जो कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की अपेक्षाकृत कम उपस्थिति को दर्शाता है।

➢ साक्षरता दरः
- 2011: जामताड़ा की औसत साक्षरता दर 64.59 प्रतिशत थी। पुरुषों की साक्षरता दर 76.46 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 52.15 प्रतिशत थी।
- 2001: औसत साक्षरता दर 62.86 प्रतिशत थी। पुरुषों की साक्षरता दर 62.86

प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 32.35 प्रतिशत थी।

- परिवर्तनः साक्षरता दर में सुधार हुआ है, विशेषकर महिलाओं की साक्षरता दर में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।

➢ आदिवासी जनसंख्याः जामताड़ा जिले में आदिवासी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें संथाल, मुंडा और उरांव जैसे जनजातीय समुदाय शामिल हैं। जिले में आदिवासियों की कुल जनसंख्या 240,089 है, जो कि कुल जनसंख्या का 30.40 प्रतिशत है।

➢ आर्थिक स्थितिः

- मुख्य गतिविधियाँः जामताड़ा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, जिसमें धान, मक्का और गेंहू जैसी फसलों की खेती होती है।
- विकासशील क्षेत्रः यहाँ छोटे–छोटे उद्योग और हस्तशिल्प भी मौजूद हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं।
- जामताड़ा में कुल 06 प्रखण्ड हैं जो निम्न हैंः –

1. जामताड़ा
2. कुंडहित
3. नाला
4. नारायणपुर
5. करमातांर
6. फ़तेहपुर

जामताड़ा जिले में 6 पंचायत समितियाँ, 118 ग्राम पंचायतें और कुल 1186 राजस्व ग्राम हैं।

➢ जामताड़ा जिले में आदिवासी समुदाय को विभिन्न प्रमुख योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिड डे मील, ई–नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई–एनएएम) योजना, एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का कारण बांग्लादेशी मुसलमानों द्वारा योजनाओं और प्रशासन में बिचौलिए की भूमिका निभाना है, जिससे आदिवासी समुदाय इस सहायता से वंचित रह जाते हैं।

➢ जामताड़ा जिले में केन्द्र एवं राज्य सरकार योजनाओं पर बंगलादेशियों का कब्जा है एवं PMAY आवास योजना मुस्लिम बिचौलिया का कब्जा में है। इसी तरह प्रज्ञा केन्द्र पर कब्जा मुस्लिमों का ही है। जनजातियों का पैसा भी मुस्लिमों द्वारा लूट लिया जाता है।

➢ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी मुस्लिम समाज के हैं और वे अपने समुदाय के बिचौलिये पाल रखे हैं तथा उनका काम जनजातीय समुदाय के भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर ठगी करना होता है जिससे आदिवासी समाज के व्यक्तियों को अंचल ऑफिस तक पहुँच पाना कठिन होता है। वहाँ आज भी ब्लॉक और पंचायत में बांग्लादेशी मुस्लिमों का दबदबा है, जिससे जनजाति समाज के लोगों को अपना कार्य कराने में कठिनाई होती है।

मा0 सदस्य डॉ. आशा लकड़ा व आयोग के पदाधिकारियों के साथ
विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन के साथ बैठक

- ग्राम पंचायत शहजोरी में दो ग्राम प्रधान है (1. मुस्लिम 2. आदिवासी) :– मुस्लिम ग्राम प्रधान के द्वारा हर बार आदिवासी ग्राम प्रधान के क्षेत्र की जमीन का क्रय विक्रय कर दिया जाता है। आदिवासी ग्राम प्रधान और गाँव वाले के विरोध करने से गिरिडीह, धनबाद और अगल–बगल के हजारो मुस्लिमों को इक्कठा कर के आदिवासीयों को जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती दबाब बनाकर आदिवासियों के जमीन पर कब्जा कर रहे हैं । इसकी शिकायत आयोग को लिखित में की गई है।

- जामताड़ा जिले में आदिवासी की बहन बेटी को बहला–फुसलाकर मुस्लिम समाज के लोग शादी–विवाह कर आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं।

- जामताड़ा जिले में आदिवासी की बहन बेटी को बहला–फुसलाकर मुस्लिम समाज के लोग शादी विवाह कर आदिवासियों के जमीन छीन रहे हैं।

- जामताड़ा जिले नारायणपुर प्रखंड के चंदाडीह पंचायत में आदिवासी महिला को दूसरी बीबी बनाकर उसको मुखिया बनाया है करमाटांड़ में तीन पंचायत बिराजपुर, तारकोजोरी, सीताकाट्टा में मुस्लिम पति ने आदिवासी पत्नी को मुखिया बनाया है।

- नैनपुर प्रखंड के शाहपुर पंचायत का पीछवाडीह में आदिवासियों का धर्म स्थल जाहेरथान को मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा जबरदस्ती उसकी घेराबंदी करने का प्रयास समय–समय पर किया जाता रहता है।

- इसी तरह नारायण पुर प्रखंड के मुसलमान समाज में गोडित (समाज के द्वारा चयनित पद या ग्राम प्रधान) नहीं होता है वह आदिवासी समाज में घोषित पद होता है जिसको हम डकूवा या गोड़ित कहते हैं। नारायणपुर के मुस्लिम समाज के लोग इस सरकार से डकुवा सम्मान राशि भी ले रहे हैं जबकि मुस्लिम समाज में कभी भी ड़कुवा पद नहीं होता है।

- जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के जनजाति समुदाय के जाहेरस्थान (पूजा स्थल) को मुस्लिम समुदाय कब्रिस्तान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, स्थानीय जनजाति समाज इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, आदिवासियों को मारने के उद्देश्य से पूरा क्षेत्र के मुसलमान द्वारा आसपास के क्षेत्र और जिला गिरिडीह से मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर एक बड़ा जमावड़ा कर लिया जाता है। इसी प्रकार नारायणपुर प्रखंड के गांव कोरिडीह (1) और कोरिडीह (2) भैयाडीह, लखनपुर, चंपापुर और मदनाडीह में मुसलमानों की आबादी बहुत अधिक है वहाँ पर

जनजातीय समुदाय का जमीन है वहां पर आदिवासियों की गोचर भूमि (चारागाह) को कब्जा करने के लिए उस स्थान पर पहले टेंट लगाकर बैठते हैं, कार्यक्रम करते हैं फिर कब्जा करते हैं क्योंकि उनकी आबादी अधिक है और उनके अंदर एकजुटता है फिर जनजातीय समुदाय के लोगों को फर्जी केस मुकदमा में फंसा कर या गुमराह कर जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और मुस्लिमों को संरक्षित करता है, पुलिस प्रशासन से सपोर्ट करने वाला वहाँ का स्थानीय विधायक है। इसलिए इन सब गांव में मुस्लिमों का काफी दबदबा है। नाला प्रखंड का ग्राम पंचायत फतेहपुर, गूँढ़ैत का क्षेत्र ईसाई बहुल है । नारायणपुर से गिरिडीह वाला क्षेत्र मुस्लिम आबादी वाला है मुस्लिमों का प्रमुख कार्य जनजातीय समुदाय के जमीन को हड़पना, जॉब कार्ड, लेबर कार्ड या बैंक का पासबुक जैसे जरूरी कागजात मुस्लिम बिचौलियों के माध्यम से प्रज्ञा केंद्र या CSP केंद्र संचालक अपने पास रखते हैं । जनजातीय समुदाय के बुजुर्गों या कम पढ़े लिखे लोगों को उनका वृद्धापेंशन या जॉब कार्ड के माध्यम से आए रुपया का कुछ ही रुपया दिया या नहीं भी दिया या कभी–कभी दिया। ऐसा करके वह बाकी का रुपया अपने पास रख लेता है इसमें अंचल कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का भी मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है।

- साइबर धोखाधड़ी और घोटाला : झारखंड के जामताड़ा जिले के इस छोटे से कस्बे में अक्सर विभिन्न राज्यों की पुलिस आती–जाती रहती है, और यह देश में साइबर अपराध के सबसे बड़े केंद्रों में से एक केन्द्र के रूप में उभरा है। करमाटांड़ पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अनुसार, अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के बीच, 12 अलग–अलग राज्यों की पुलिस टीमों ने 23 बार इस स्टेशन का दौरा किया और लगभग 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जुलाई 2014 से जुलाई 2017 के बीच, जामताड़ा जिला पुलिस ने इस इलाके के 330 निवासियों के खिलाफ 80 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। केवल करमाटांड़ पुलिस स्टेशन में, 2017 में गिरफ्तारियों की संख्या 100 से अधिक हो गई। साइबर धोखाधड़ी और घोटाले में ज्यादातर बांग्लादेशी मुस्लिम पुरुष और महिलाएँ अनुसूचित जनजाति समुदाय और स्थानीय लोगों को निशाना बनाते हैं। बांग्लादेशी मुस्लिम उन खाताधारकों को लक्ष्य बनाते हैं जो सीधे–साधे और कम पढ़े–लिखे होते हैं, और उनके खातों से बांग्लादेशी मुस्लिमों द्वारा पैसे चुरा लिए जाते हैं एवं बंग्लादेशी मुस्लिम सरकारी विभागों में लाभ लेने के लिए फर्जी खाते बनाते हैं। बांग्लादेशियों को लाभ दिलाने के लिए उनके गिरोह काम कर रहे हैं।

- अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के जनजीवन को प्रभावित करने वाले कई

गंभीर मुद्दे है जो निम्न हैं:–

- ग्रामीण क्षेत्रों मे सड़कों का अभाव : करमाटांड प्रखण्ड में सिकरपोसनी पंचायत के चुनकड़ी टोला 1.5 कि.मी. की सड़क की जरूरत है इसी पंचायत में सुखी पहाड़ी गाँव में भी सड़क नही है और ऐसे कई गाँव है जहाँ सड़क नही है ।

- आवासीय योजना की सेवा प्रदान करनाः राज्य एवं केंद्र सरकार की कई आवासीय योजनाएं है परन्तु लोगों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस विषय में कई प्रखंडो से सामान्य शिकायते आयोग को प्राप्त हुई हैं ।

- पेंशनधारको की पेंशन प्राप्ति में: बैठक में आमजन ने आयोग को अवगत कराया कि जिन बुजुर्गो, विधवा व् विकलांग इत्यादि योजनाओ के माध्यम से जो पेंशन प्राप्ति होती है उसमें समय पर प्रक्रिया की जाँच न होने पर अत्यंत विलम्ब का सामना करना पड़ता है।

- बालिकाओं एवम बालकों के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासो का प्रबंधन : बालिकाओं एवम बालकों के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों के प्रबंधन से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया कि यह संस्थाएं सिर्फ नाम मात्र की हैं छात्रवास प्रबन्धन को लेकर जिला प्रशासन कोई कार्य नही करता है ।

- सरकारी विद्यालयों के बारे में जिले में सामने आए विषय : मुख्यमंत्री अतिरिक्त बालिका उच्च विद्यालय के छात्रावास पर NGO द्वारा कब्जा, निजाम विद्यालय कोड़ापाड़ा की स्थिति को लेकर शिकायत, सुबाड़ी (रामगढ़) के मध्य विद्यालय में कई समस्या और सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति को चिंता के विषय के रूप में पहचाना गया है जिसमे बताया गया कि अध्यापकों व् छात्रों में आपसी भाषा का भी काफी अन्तराल है जिससे छात्रों को समझने में समस्या आती है शिक्षा विभाग को मोजूदा नीतियों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली लागू करने पर विचार करना चाहिए कि शिक्षक उपस्थित हो और अपने कर्तव्यों का पालन करे। इससे छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

- कब्रिस्तान बनानाः नारायणपुर प्रखण्ड में सहरपुर पंचायत के सहरपुर गाँव में जाहेरस्थान (पूजा स्थल) की लगभग 5 एकड़ भूमि पर कब्रिस्तान बन रहा है नालाप्रखंड के ठेरा पंचायत में साल कुंडा गाँव में 200 परिवार है जिसमे 25 अनुसूचित जनजाति के परिवार है इन सभी लोगों को राशन लाने के लिए 4 किमी.

दूर जाना पड़ता है रास्ते में जो पुल है वा टूटा हुआ है जिसके कारण लोगों को कई समस्याओं का समना करना पड़ता है। जामताड़ा प्रखण्ड में बासौनीहस्दा में पंसोलिया में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि के सन्दर्भ में न्यायालय में केस को जीतने के बाद भी उसकी भूमि उनको वर्तमान में वापस नहीं मिली क्योकि प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। सीकर–पोसनी पंचायत में धुमकुडीया नहीं है जबकि पंचायत में अनुसूचित जनजाति के 5 गाँव है। गोपालपुर पंचायत में जाहेरस्थान का घेराबंदी नहीं हुई है और धुमकुड़ीया का निर्माण भी नहीं हुआ है।

मा0 सदस्य डॉ. आशा लकड़ा व आयोग के पदाधिकारियों के साथ
जामताड़ा जिला प्रशासन के साथ बैठक समीक्षा ।

निष्कर्षः – आयोग ने विभिन्न घटनाओं और मुद्दों पर जामताड़ा जिला प्रशासन को स्पष्ट सिफारिशें दीं। जिला प्रशासन ने आयोग की सिफारिशों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जिला- पाकुड़

1. स्थितिः

   पाकुड़ जिला झारखंड के उत्तर–पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह जिला झारखंड के पूर्वी भाग में पड़ता है और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। इसके उत्तर में साउथ दिनाजपुर और मालदा (पश्चिम बंगाल) जिले, पूर्व में साहिबगंज जिला और दक्षिण में झारखंड के गढ़वा और लातेहार जिले हैं । पाकुड़ जिले का मुख्यालय पाकुड़ नगर में स्थित है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पहाड़ी और पठारी इलाके हैं, और इसका एक हिस्सा संथाल परगना प्रमंडल में आता है। यहाँ आदिवासी जनसंख्या और प्राकृतिक सौंदर्य की भरपूर मौजूदगी है । पाकुड़ जिला झारखंड के पठारी इलाके में स्थित है, जहाँ जंगल और प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल, वनस्पतियाँ और वन उत्पाद प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

2. पाकुड़ जिले की संक्षिप्त रूपरेखा :

   पाकुड़ एक मध्यम जनसंख्या वाला जिला है। (कुल जनसंख्या : 900422) झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 2.5 प्रतिशत इस जिले में निवास करता है। आदिवासियों की जनसंख्या पाकुड़ जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 42.1 प्रतिशत है। इस जिले में लिंग अनुपात भी बहुत कम है; प्रति हजार पुरुषों पर 957 महिलाएं हैं।

❖ यह झारखंड के सबसे कम शहरीकृत जिलों में से एक है, इसके लगभग 5 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। सबसे कम शहरीकरण के बावजूद, जिले की जनसंख्या घनत्व राज्य की औसत से अधिक है। जिले की जनसंख्या घनत्व 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जबकि राज्य की औसत घनत्व 338 है।

❖ जिले की लगभग 39 प्रतिशत जनसंख्या अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित है। जिले की जनसंख्या का लगभग 33 प्रतिशत मुसलमान हैं जबकि ईसाईयों की हिस्सेदारी लगभग 6 प्रतिशत है।

❖ जिले की लगभग 45 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी है। संथाल मुख्य आदिवासी समूह है। जिले में दो प्राचीन आदिवासी समूह (PVTG) निवास करते हैं, जो माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया ।

❖ पाकुड़ की साक्षरता दर बहुत कम है। जिले में साक्षरों की संख्या केवल 30.65 प्रतिशत है। केवल साक्षरता दर ही नहीं, बल्कि साक्षरों की शैक्षिक उपलब्धियां भी खराब हैं।

❖ जनसंख्या का थोड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से सक्रिय है लेकिन इनमें से बहुत कम के पास नियमित नौकरियां हैं। केवल लगभग 13 प्रतिशत श्रमिकों के पास नियमित नौकरियां हैं, 48 प्रतिशत स्व–रोजगार में हैं और लगभग 39 प्रतिशत अस्थायी नौकरियों में हैं।

पाकुड़ जिला में 156 गाँव हैं और कुल 6 ब्लॉक है। उनके नाम निम्नलिखित है:–

1. पाकुड़ ब्लॉक
2. हिरणपुर ब्लॉक
3. महेशपुर ब्लॉक
4. अमरापाड़ा ब्लॉक
5. लिट्टीपाड़ा ब्लॉक
6. पाकुड़िया ब्लॉक

पाकुड़ जिले में कुल 03 विधानसभा क्षेत्र हैं:–

1. लिट्टीपाड़ा
2. पाकुड़
3. महेशपुर ।

3. बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान :

बुनियादी सुविधाओं जैसे कि बिजली, आवास और स्वच्छता का प्रावधान जिले के विकास की योजना में करने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण परिणाम बताते हैं कि जिले के ग्रामीण परिवार में से केवल लगभग 22 प्रतिशत के पास बिजली कनेक्शन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 43.5 प्रतिशत है। 156 गांवों में से केवल 14 गांवों में बिजली है। जिले के गांवों में बड़े पैमाने पर ग्रामीण विद्युतीकरण को तीव्र गति से बढ़ाने की आवश्यकता है।

आवास के मोर्चे पर, जिले के ग्रामीण परिवार में से केवल एक पांचवा हिस्सा पक्का दीवारों वाले आवासों में रहता है। इसलिए, जिले में आवास की स्थिति को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत तुरंत सुधारने की आवश्यकता है। केवल 12 प्रतिशत परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) से लाभ हुआ है, और मौजूदा कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता है। पानी की कमी और शौचालयों के निर्माण को जिले की विकास योजनाओं में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

❖ पुरे पाकुड़ जिले में आदिवासियों की जमीन दान पत्र के माध्यम से लिया जा रहा है ।

ज्ञात हो पाकुड़ जिले की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। जिसके कारण बांग्लादेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

- आदिवासी बेटियों से (बांग्लादेशी घुसपैठियो) शादी किया जाता है और आदिवासी बहु बेटियों की जमीन को ऐफिडेविट/मनी–रिसीट/दान पत्र के माध्यम से छीन लिया जाता है।

1. पाकुड़ जिले में आदिवासी समुदाय पर हो रहे अत्याचार और जनजाति समाज की समस्याओं पर आयोग की बैठक :–

2. आयोग के दल के सदस्य सर्किट हाउस, पाकुड़ पहुंचे और छात्र समूह के साथ बैठक के बाद, जनजाति समाज के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। जनजाति समाज के नेताओं ने अपनी समस्याओं को सामने रखा, जिसमें भूमि पर कब्जा, सरकारी सहायता की कमी, और सुरक्षा चिंताओं का मुद्दा प्रमुख था। हालिया संघर्ष और पुलिस की कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा की गई। स्थानीय नेताओं ने आयोग को घटनास्थल की वास्तविक स्थिति और आदिवासी समुदाय पर पड़ रहे प्रभाव के बारे में अवगत कराया।

   अनुसूचित जनजाति समाज के नेताओं ने कुछ सुझाव दिए, जिनमें प्रमुख थे आदिवासी समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करना, अवैध कब्जों की जांच करना, और समुदाय को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रयास करना।

   जनजाति समाज के नेताओं ने बताया कि ज़ीकरघाटी गाँव में पहले आदिवासी संथाल समुदाय के 20 घर थे। अब गाँव में कोई भी आदिवासी संथाल परिवार नहीं

बचा है। सभी परिवार गाँव छोड़कर भाग गए हैं। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि ज़ीकरघाटी गाँव में आदिवासी संथाल समुदाय को जबरन उनकी जमीन और घरों से मुस्लिम समाज द्वारा बेदखल कर दिया गया है। और उस जगह पर बांग्लादेशी घुसपैठी बस गए ।

- ❖ पाकुड़ जिला की जनसांख्यिकी पूरी तरह से बदल चुकी है। इसका एक जीता–जागता उदाहरण महेशपुर प्रखंड का गाय बथान में घटित घटना है। हाल ही में, 17 जुलाई 2024 को मुहर्रम के बाद और 18 जुलाई 2024 को टीपू सुलतान अंसारी एवं अन्य ने हुपनी मरांडी, दुंदु हेम्ब्रम (पति) और परमेश्वर हेम्ब्रम (पुत्र) को बुरी तरह मारा–पीटा। उनके सीने पर चढ़कर कूदा और हुपनी मरांडी की बहू रानी मुर्मू के कपड़े फाड़ दिए, जिससे वह वस्त्रहीन हो गई।

- ❖ उक्त घटना को आयोग ने गम्भीरता से लिया और दिनांक 21 जुलाई 2024 को आयोग की टीम दुमका पहुंची थी, जहां दुमका के फुलो–झानो अस्पताल में हुपनी मरांडी और दुंदु हेम्ब्रम का इलाज चल रहा था। उन्हें इतनी बुरी तरह मारा गया था,वे बात भी नहीं कर पा रहे थे। इस पूरे विषय को प्रेस के माध्यम से उजागर किया गया। हुपनी मरांडी के बेटे बाबुरजी हेम्ब्रम को अब गांव में बसे बांग्लादेशी घुसपैठिए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

- ❖ आयोग पुनः दिनांक 12 अगस्त 2024 को झारखण्ड राज्य के जिला पाकुड़ के ग्राम गायबथान (घटनास्थल) में जाकर पीड़िता एवं पीड़ित परिवार से मुलाकात कर जानकारी ली । बातचीत के दौरान पता चला कि गायबथान गांव में पहले केवल 7 मुस्लिम परिवार थे, लेकिन अब उस गांव में 150 मकान बनाकर बांग्लादेशी घुसपैठिए कब्जा कर चुके हैं।

- ❖ आज भी इस आदिवासी गरीब परिवार को सरकारी लाभ से वंचित कर दिया गया है। यदि इस मामले पर ध्यान से देखा जाए, तो स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दल बांग्लादेशी घुसपैठियों के पक्ष में उतर गए हैं।

- ❖ पाकुड़ शहर के धनुषपुजा, किताजोर, बलिया, और टांगा–छापर डांग जैसे चार स्थानों पर यदि जमीन के स्वभाव को देखा जाए, तो यह आदिवासियों की है। इन सभी जगहों पर बांग्लादेशी घुसपैठिये भर चुके हैं।

- ❖ तलवा, सोबले, किताजोर, गोगुलपुर और मालीपाड़ा की जमीन आदिवासियों की है, लेकिन इन स्थानों पर बांग्लादेशी घुसपैठिए कब्जा कर चुके हैं। लिट्टीपाड़ा प्रखंड (जिला पाकुड़) के झेना गडिया गाँव में, चार्लेस टुडू की 11 बीघा जमीन पर

बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है और वहां मस्जिद और कब्रिस्तान बना लिया है।

- जिला पाकुड़ के तारा नगर में 60 हिंदू परिवार रहते हैं। वहाँ एक हिंदू लड़की का बांग्लादेशी घुसपैठिये (आरोपी मुर्शरफ शेख, पिता केसु शेख) ने एमएमएस बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब इस बात की जानकारी लड़की के परिवार को हुई, तो वे मुर्शरफ शेख के पिता केसु शेख के घर समझाने के लिए गए। इसके बाद मुर्शरफ शेख और केसु शेख ने गांव के लगभग 350 बांग्लादेशी घुसपैठियों को उकसाकर तारा नगर की लड़की और उसके परिवार पर हमला करवा दिया और उनके घरों को तोड़फोड़ दिया। उसके बाबजूद भी पुलिस प्रशासन ने हिंदू परिवार के 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर के बाद भयभीत होकर तारा नगर के 28 परिवार गांव से भाग गए हैं। 13 परिवार अब गांव वापस लौट गए हैं और 15 परिवार ने अपना घर छोड़कर पाकुड़ शहर में सुरक्षा के लिए चले गए हैं। इसी तरह गोपीनाथपुर गांव में पूरा हिंदू समाज खेती–बारी करता है। वहां के खेतों में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा बम रख दिए जाते हैं ताकि वे हिंदू आदिवासी समाज की ज़मीन पर कब्जा कर सकें।

- गोपीनाथपुर गांव में बकरीद के दिन दो मुस्लिम परिवारों द्वारा गाय काटी गई, जिसका विरोध गांव के ग्रामीणों ने किया। इस गांव में लगभग 400 हिंदू परिवार रहते हैं, और इनमें अधिकांश परिवारों ने इस कृत्य का विरोध किया। विरोध के परिणामस्वरूप, दो मुस्लिम परिवारों को समर्थन देने के लिए 1000 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिये गांव में आ गए और पथराव किया। यदि पूरे जिले का अवलोकन किया जाए, तो पाकुड़ जिले सहित पूरे संथाल समाज के आदिवासियों की रोटी, बेटी और माटी को लूटा जा रहा है। आदिवासियों की जनसंख्या लगातार कम हो रही है और मूलवासी भी खतरे में हैं। संथाल परगना की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) में पूरी तरह से बदलाव हो चुका है।

- अमड़ापाड़ा गांव में कई ऐसी जमीनें हैं जहाँ SC/ST समुदाय के लोग पूजा करते हैं। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे उनका सांस्कृतिक धरोहर छीना जा रहा है। इसके अलावा, वहाँ की स्थानीय राजनीतिक पार्टियों के लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हैं और अमड़ापाड़ा के भोले–भाले SC/ST समुदाय के जनता पर एफआईआर कर रहे हैं, उन्हें जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो पाकुड़ जिले में आदिवासी और मूलवासी खतरे में हैं और उन्हें संरक्षण देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा

है।

- ❖ ATROCITY ACT लागू होने के बावजूद एसटी समुदाय के लोगों को प्रावधानों के तहत अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, जब एसटी समुदाय के लोग ATROCITY ACT केस दर्ज कराते हैं तो प्रशासन द्वारा मामलों को संज्ञान में नहीं लिया जाता और पुलिस सुपरविजन के नाम पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत लगी धाराओं को हटा देती है, जो कि सेक्शन 4 का उल्लंघन है।

- ❖ आयोग ने पाकुड़ प्रवास के दौरान के. के. एम. कॉलेज के हॉस्टल में पुलिस द्वारा छात्रों की पिटाई को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन/ चिकित्सा पदाधिकारी और छात्रों से अलग अलग बैठक की।

1. आयोग का जांच दल के.के.एम. कॉलेज के छात्रावास में छात्रों के साथ बैठक के लिए पहुंचा। छात्रों ने बताया कि 26 जुलाई 2024 की रात को एस. आई नागेंद्र कुमार और उनके चालक ने कॉलेज कैंपस में छात्रों को परेशान किया। पुलिसकर्मी अचानक आए और छात्रों को पीटने लगे। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी लगभग 100 की संख्या में थे, जिन्होंने छात्रावास की लाइट तोड़ी और अंधेरे में छात्रों की पिटाई की। इस हमले में 16 छात्र घायल हुए इसमें कुछ छात्र को गंभीर चोटे आई थी।

2. चिकित्सकों के साथ बैठक में डॉ. मंटू कुमार टेकरीवाल, सिविल सर्जन; डॉ. मनीष कुमार, उपाधीक्षक; और डॉ. प्रीतम मारांडी, मेडिकल अधिकारी ने बताया कि 26 जुलाई 2024 की रात को दो पुलिसकर्मी इलाज के लिए आए थे। इसके बाद, 2:00 बजे रात को 4 पुलिसकर्मी और आए जिन्हें इलाज के बाद भेज दिया गया। कुल 16

छात्र इलाज के लिए आए, जिनमें से 2 को CT SCAN के लिए दुमका रेफर किया गया। 8 छात्रों को अगले दिन शाम को और 1 छात्र को 29 जुलाई को शाम 6:30 बजे अस्पताल से छुट्टी दी गई। चिकित्सकों द्वारा अवगत कराया गया कि छात्रों पर कठोर वस्तु से हमला होने की संभावना है।

3. छात्रों ने आयोग को बताया कि छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। छात्रावास में कोई वार्डन या अधीक्षक और गार्ड नहीं है और कॉलेज प्राचार्य को भी छात्रावास की स्थिति की जानकारी नहीं है। छात्रावास की मरम्मत, शौचालयों की सफाई, बेड, गद्दों की व्यवस्था और रसोइया की आवश्यकता है। पूर्व छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अलग छात्रावास की व्यवस्था की बात भी उठाई गई। छात्रावास के सभी छात्र स्वयं भोजन बनाते हैं और छात्रावास की साफ–सफाई का काम भी करते हैं।

4. जिला प्रशासन के साथ बैठक में SP प्रभात कुमार ने बताया की एक लड़की द्वारा शिकायत किया गया कि उसका भाई को कोई अपहरण कर लिया है जिसको लेकर थाना प्रभारी द्वारा 3 मिनट के अन्दर लोकेशन ट्रेस किया गया जिसका लोकेशन उक्त कॉलेज हॉस्टल के आसपास था, जब दो पुलिस कर्मी हॉस्टल के अंदर घुसा तो देखा एक छात्र फ़ोन पर बात कर रहा है जब पुलिस ने लड़के को कहा कि किससे बात कर रहे हो इस पर लडको ने पुलिसकर्मी को कहा आप किसकी अनुमति से अंदर आए और इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और मारपीट हुई उसके बाद लगभग रात 12:30 बजे दोबारा पुलिस छात्रवास में गए और सोए हुए छात्रों से मारपीट किया। इसकी जानकारी SP को सुबह 8 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला Dy. SP का भी यही कहना था। उपायुक्त को भी पत्रकारो और अख़बार के माध्यम से जानकारी हुई।

5. आयोग का प्रश्न

➢ आयोग ने प्रश्न पूछा कि एक थाने में कितने पुलिस कर्मी हैं?

- जवाब– SP प्रभात कुमार ने बताया कि एक थाने में 8 से 10 पुलिस कर्मी है।

➢ आयोग ने बताया कि छात्रों का कहना है कि लगभग 100 से 150 के संख्या में पुलिस कर्मी ने हमला किया ?

- जवाब– इस पर SP ने कहा कि पूरे जिले में 100 पुलिस कर्मी नहीं है।

➢ आयोग ने कहा कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

- जवाब– SP प्रभात कुमार ने बताया कि थाना प्रभारी समेत दो को निलंबित किया

गया है।

➢ आयोग ने पूछा कि कॉलेज हॉस्टल में घुसने से पहले हॉस्टल प्रशासन से अनुमति लिया गया था ?

- जवाब– नहीं लिया गया था।

➢ आयोग ने पूछा कि मामले पर FIR दर्ज की गई है ?

- जवाब– SP ने बताया की SIT गठन किया गया है जिसमें एक ST अधिकारी और एक SC अधिकारी जाँच कर रहे हैं। प्रभात कुमार ने बताया दोनों तरफ से FIR कराया गया है।

➢ इस मामले पर आयोग ने कहा कि छात्रों को जिस प्रकार से पीटा गया है और गंभीर चोट को देखते हुए एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाये और 15 से 17 वर्ष के लड़को के ऊपर गम्भीर धारा लगाया गया है उसे हटाया जाये और लड़को को सुरक्षा दिया जाये।

- जवाब– SP प्रभात कुमार ने बताया की पांच सदस्यीय टीम का SIT गठन किया गया है जिसमे एक ST अधिकारी और एक SC अधिकारी है।
  SP प्रभात कुमार ने आयोग के समक्ष कहा की बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जायेगा उनकी भविष्य खराब नही होगी इसका वादा करते हैं।

➢ आयोग ने कहा कि अपहरण की लड़की ने FIR दर्ज कराई उस पर क्या करवाई की गयी ?

- जवाब–SP प्रभात कुमार ने बताया की साहेबगंज जिले में अपहरणकर्ताओं से लड़के को छुड़ाया गया है।

आयोग ने जिला प्रशासन से उक्त जानकारी मांग की है।

I. अपहरण की FIR दर्ज की प्रति आयोग दिया जाए।
II. अपहरणकर्ता की पहचान और कितने अपहरणकर्ता थे ?
III. अपहरण से संबंधित मामले की, विस्तृत जानकारी आयोग को दी जाए।
IV. ज़िला सुरक्षा बलो की संख्या की सूची आयोग को दिया जाए।

➢ पाकुड़ जिले में आयोग की सिफारिशें :–

1. हॉस्टल में व्यवस्थाएँ:

❖ रजिस्टर मेंटेनेंसः हॉस्टल में एडमिशन के लिए एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, जिसमें प्रवेश की पूरी जानकारी दर्ज हो।

❖ गेस्ट हाउस निर्माणः कॉलेज कैंपस में एक गेस्ट हाउस का निर्माण होना चाहिए।

- आवागमन रजिस्टरः हॉस्टल में आने–जाने वाले लोगों के लिए एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए।
- सीसीटीवी और अन्य सुविधाएँः हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त लाइटिंग, पानी, और लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी छात्रों के पास मैट्रेस होना चाहिए और हॉस्टल में टीवी भी उपलब्ध होना चाहिए।

2. हिरनतोला गाँव की समस्याएँः

- आयोग ने उल्लेख किया कि हिरनतोला गाँव में आदिवासी महिला प्रतिभा कुमारी का पैर काट दिया गया है। इस मामले में इलाज सही ढंग से होना चाहिए और केस की पुनः जांच होनी चाहिए।

3. तारानगर गाँव का एमएमएस प्रकरणः

- तारानगर गाँव में 7 सनातनी परिवार रहते हैं, जिनमें 11 लोगों पर एमएमएस प्रकरण में मामला दर्ज हुआ है। आयोग ने इस मामले की सही से जांच करने की सिफारिश की है।

4. गोपीनाथपुर में बकरीद पर हुई झड़प :

- गोपीनाथपुर में बकरीद के अवसर पर हुई झड़प की भी जांच करने की सिफारिश की गई है।

5. भूमि की सुरक्षाः

- गौचर की भूमि, को यथावत रखने और दान पत्र के माध्यम से जमीन की खरीद पर रोकने की सिफारिश की गई है, ताकि कोई भी उस पर कब्जा न करे और आदिवासियो का संरक्षण हो सके।

जिला गोड्डा

1. स्थिति :

गोड्डा जिला झारखंड राज्य के चौबीस जिलों में से एक है और राज्य के उत्तर–पश्चिमी हिस्से में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से, वर्तमान गोड्डा जिला पूर्ववर्ती संथाल परगना जिला का हिस्सा था। गोड्डा जिले का मुख्यालय है। जिले का क्षेत्रफल 2,110 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ की जनसंख्या लगभग 13,13,551 है। इसमें पुरुषों की जनसंख्या लगभग 6,77,927 और महिलाओं की जनसंख्या 6,35,624 है। निकटतम रेलवे स्टेशन गोड्डा है। लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है, और प्रमुख फसलें धान, गेहूं और मक्का हैं। गोड्डा जिला विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या वाला क्षेत्र है और खनिज संसाधनों जैसे कि कोयला के लिए भी जाना जाता है।

2. भौगोलिक विशेषताएँ :

- भू–आकृतिः गोड्डा जिला का भू–भाग मुख्यतः पठारी और मैदानों से बना हुआ है। यहाँ की धरती का मुख्यतः ढाल और हल्की पहाड़ी संरचना है।
- जलवायुः जिले की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें गर्मी के मौसम में उच्च तापमान और बारिश के मौसम में अच्छी मात्रा में वर्षा होती है।
- नदियाँः जिले में प्रमुख नदियाँ जैसे कि कोसी और गंगा की उपनदियाँ बहती हैं, जो कृषि और जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

3. गोड्डा जिले में 1634 गाँव हैं और कुल 9 ब्लॉक हैं। उनके नाम निम्नलिखित हैः

1. गोड्डा
2. पथरगामा
3. बसंत्राई
4. महगामा
5. मेहरमा
6. बोआरिजोर
7. ठाकुरगंगटी
8. सुंदरपहाड़ी
9. पोड़ैयाहाट

3. गोड्डा जिले में कुल 03 विधानसभा क्षेत्र हैं:–

1. गोड्डा (जनरल) 2. महगामा (जनरल) 3. पोड़ैयाहाट (जनरल)

मा0 सदस्य डॉ. आशा लकड़ा व आयोग के पदाधिकारियों के साथ आदिवासी समुदाय के लोगों से आयोग की बैठक :–

5. गोड्डा जिले में आदिवासी समुदाय के लोगों और आदिवासी समुदाय की बेटियों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे बहुत जटिल और संवेदनशील हैं। इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है:–

- गोड्डा जिले में 02 प्रखण्ड सुंदरपहाड़ी और बोआरिजोर में आदिवासी समुदाय की बेटियों को (बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा) जबरन शादी किया जा रहा है और सुंदरपहाड़ी, बोआरिजोर व राजाभिट्ठा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह सक्रिय है, गांव में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दलाल व एजेंट काम करते हैं। यहाँ की भोली–भाली आदिवासी लड़कियों व महिलाओं को काम के लालच में ले जाते हैं और बेच देते हैं।
- इस इलाके में जमीन विवाद, लव जिहाद एवं लैंड जिहाद की समस्याएँ चरम पर हैं।
- पहले तो वहां उसका शारीरीक शोषण होता है, फिर बाद में किसी के यहां काम के लिए बेच दिया जाता है. वहां शारीरिक व मानसिक शोषण होता है। जैसे कि श्री सुंदरा पहड़िया की बेटी (गांधी पहड़िया) और जयकिशुन पहड़िया कि बेटी (सनीता पहड़िया) 12 वर्षो से कहाँ गायब है अभी तक कोई जानकारी नहीं है ।
- बोआरिजोर प्रखण्ड में आदिवासी बहुल के बेटियों ने (बांग्लादेशी घुसपैठियो) से शादी करने से मना करने पर दिनांक 28 जुलाई 2024 को आदिवासी बहुल के बेटी

को बुरी तरह से मारा गया है। यह घटना सरैया गाँव थाना बोआरिजोर, जिला गोड्डा कि घटना है। बोआरिजोर प्रखण्ड में आदिवासी बहुल के बेटियों को (बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा) इसी प्रकार से शादी किया जाता है और आदिवासी बहु बेटियों की जमीन को ऐफिडेविट/मनी– रीसीट/दान पत्र के माध्यम से छीन लिया जाता है।

- इसी प्रकार से पोडैयाहाट प्रखण्ड में दुमका से रामगढ़ जाने वाली रास्ते पर अधिकतर भूमि पंचनामा दानपत्र, भूदान के नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया है और यह बताया जा है कि पूर्वजों से हम दोनों का पारिवारिक संबंध होने के कारण रहने के लिए जमीन नहीं है इसलिए बासो–बास हेतु उसे 3–4 कट्ठा जमीन दान में दिया गया हैं।
- जिस संथाली भाई/बहन को हिन्दी समझने और जानने में कठिनाई होती है उसे ठगी कर उसका जमीन छिन/हड़प लिया जाता है।

मा0 सदस्य डॉ. आशा लकड़ा व आयोग के पदाधिकारियों के साथ गोड्डा जिला प्रशासन के साथ बैठक समीक्षा ।

- आदिवासियों के लिए सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाएँ दी जानी चाहिए, जो अभी तक मुहैया नहीं कराई गई हैं। हॉस्टल के नाम पर एक पुराना खंडहर खड़ा है। हॉस्टल की मरम्मत के नाम पर केवल रंग–पेंट कर दिया जाता है, लेकिन जब बारिश होती है, तो हॉस्टल की सभी छतें टपकने लगती हैं। कॉलेज हॉस्टल की स्थिति भी कुछ इसी

प्रकार की है, जिससे वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाई में काफी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। गोड्डा के आवासीय छात्रावास में न तो रसोईया न पानी और न ही छात्रावास की मूलभूत सुविधा है। सभी विद्यार्थी जानवरों की तरह रह रहे हैं। जिला कल्याण विभाग द्वारा किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। एक कॉमन रूम में 150 से अधिक छात्र रहते हैं। 4 नंबर हॉस्टल में एक गली है उस गली में 15–16 छात्र रहते है, यह बिल्डिंग जर्जर हो गई है जो कभी भी गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है।

❖ गोड्डा जिला के मुख्यालय से चंदना पंचायत में स्थित सुसनी, डमरूहाट और गंगपाड़ा, जहाँ तीन गाँव हैं, वहाँ आज तक कोई सड़क नहीं है। सुसनी 25 किमी, डमरूहाट 20 किमी, और डंगापाड़ा 30 किमी दूर हैं। इसी तरह, कैसोना पंचायत के तिलामिड्डा गाँव में भी कोई रास्ता नहीं है। उस गाँव में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक साल में केवल दो बार, 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही आते हैं।

❖ सुंदरपहाड़ी प्रखण्ड में सिंदरी पंचायत के ग्राम जोलो पहाड़ के झरने का पानी 03 KM से लाकर पीते है।

❖ गोड्डा जिला में अंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह से जर्जर हो चुके है जो किसी भी समय गिर सकता है, वहाँ पर नई बिल्डिंग की आवश्यकता है और कहीं–कहीं बना भी है तो प्लास्टर झड़ने लगा है।

❖ ऐसी ही स्थिति पोड़ैयाहाट प्रखंड में भी देखने को मिली है, जहाँ सड़क निर्माण के दौरान हरिहारी गाँव में एक जाहेरथान (देव स्थान) के ऊपर सड़क बना दी गई और आदिवासी धार्मिक गतिविधियों को रोक दिया गया। इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री योजनाओं जैसे नल–जल, विद्युतीकरण और आंगनवाड़ी भवन निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह से रोक दिए गए हैं।

❖ गोड्डा जिले में आदिवासी मामलों की बात करें तो, नवंबर 2023 से जुलाई 2024 तक कोई मामला थाने में दर्ज नहीं किया गया है। जानबूझकर आदिवासी समाज को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जिला बैठक में ये सभी मामले आयोग के संज्ञान में आए हैं। इस मामले में आयोग ने पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त को निर्देशित किया है कि जिले के सभी थानों को आदेश दें कि आदिवासी समुदाय से संबंधित सभी मामलों में एफआईआर दर्ज की जाए और दर्ज की गई एफआईआर का प्रत्येक माह रजिस्टर बनाए रखें।

- ATROCITY ACT लागू होने के बावजूद एसटी समुदाय के लोगों को प्रावधानों के तहत अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, जब एसटी समुदाय के लोग ATROCITY ACT केस दर्ज कराते हैं, तो प्रशासन द्वारा मामलों को संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग–मुख्यालय

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष	कमरा सं.
1	श्री अंतर सिंह आर्य	अध्यक्ष	दूरभाष : 24635721	601
2	श्री राजीव सक्सेना	अध्यक्ष के निजी सचिव	दूरभाष : 24635721	621-A
3	श्री प्रकाश कुमार उईके	अध्यक्ष के सहायक निजी सचिव	दूरभाष : 24635721	621-A
4	सुश्री अदिति सोनकर	अध्यक्ष के निजी सचिव	दूरभाष : 24635721	620
5	श्री निरुपम चकमा	सदस्य	दूरभाष : 24657373	607
6	श्री गौरव कुमार	सदस्य के निजी सचिव	दूरभाष : 24657373	614
7	सुश्री पर्ना चकमा	सदस्य के निजी सहायक	दूरभाष : 24657373	614
8	डॉ. आशा लकड़ा	सदस्य	दूरभाष : 24623958	603
9	श्री कुशेश्वर साहू	सदस्य के निजी सचिव	दूरभाष : 24623958	620-A
10	श्री विवेक कुमार	सदस्य के निजी सहायक	दूरभाष : 24623958	620
11	श्री जाटोतु हुसेन	सदस्य	दूरभाष : 24646954	609
12	श्री अशोक कुमार लक्कार्सु	सदस्य के निजी सचिव	दूरभाष : 24646954	619-A
13	श्री सुखदेव	सदस्य के निजी सहायक	दूरभाष : 24646954	619
14	श्रीमती अलका तिवारी	सचिव	दूरभाष : 24635625	602
15	श्रीमती उषा जी. राजीव	सचिव के पीएसओ	दूरभाष : 24635625	622
16	श्रीमती मोनिका तिग्गा	सचिव के निजी सचिव	दूरभाष : 24624190	622
17	रिक्त	संयुक्त सचिव	दूरभाष : 24603669	610
18	श्री राजकुमार बदलिया	संयुक्तसचिव कार्यालय में परामर्शदाता	दूरभाष : 24603669	612
19	श्री सूरत सिंह	निदेशक (प्रशा. एव ईएसडीडब्ल्यू)	दूरभाष : 24615012	द्वितीय तल
20	डॉ. पी कल्यान रेड्डी	निदेशक	दूरभाष : 20819841	द्वितीय तल
21	श्री राकेश कुमार दुबे	उप निदेशक (समन्वय, डीडीओ एवं एसपीसीआर)	दूरभाष : 20819839	210
22	श्री राजेश कुमार वर्मा	अवर सचिव (स्था. एवं प्रशा.)	दूरभाष : 24657271	611-A
23	श्री राम जन्म चौधरी	सहायक निदेशक (रा.भा.)	दूरभाष : 24601346	द्वितीय तल
24	श्री आर.एस. मिश्र	अनुसंधान अधिकारी (एसएसडब्ल्यू एवं आरएमडीसी)	दूरभाष : 24641640	द्वितीय तल
25	श्री हरि राम मीना	उप निदेशक (एपीसीआर एवं ईएसडीडब्ल्यू)	दूरभाष : 24615012	द्वितीय तल
26	स्वागत (गेट नं. 2)		दूरभाष : 24697018	भू-तल

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग–मुख्यालय
(क्षेत्रीय कार्यालयों का पता एवं अधिकार क्षेत्र)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) स्थान और पता	प्रभारी अधिकारी पदनाम	क्षेत्रीय कार्यालय का अधिकार क्षेत्र
1	**भोपाल** कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 52–ए, एरिया हिल्स, भोपाल–462011	**श्री आर. के. दुबे** उप निदेशक दूरभाष: 0755–2576530	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल गोवा और केन्द्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप।
2	**भुवनेश्वर** एन–1/297, आईआरसी गांव भुवनेश्वर–751015	**श्री आर. के. दुबे** उप निदेशक दूरभाष: 0674–2551616	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं पुडुचेरी।
3	**जयपुर** कमरा नं. 101 एवं 102, पहली मंजिल, ब्लॉक–ए, केंद्रीय सदन सेंटर–10, विद्याधर नगर, जयपुर–302023	**श्री आर.एस.मिश्र** अनुसंधान अधिकारी दूरभाष: 0141–2236462	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली तथा केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख।
4	**रायपुर** ईएसी कॉलोनी, प्लॉट नं. 3/16 पहली मंजिल, जिला न्यायालय के पीछे, पूर्णिमा स्कूल के पास, रायपुर–492001	**श्री पी. के. दास** अनुसंधान अधिकारी दूरभाष: 0771–2443334	छत्तीसगढ़
5	**रांची** 14, न्यू एजी कॉ–ऑपरेटिव कॉलोनी, कडरू, रांची–834002	**श्री पी. के. दास** अनुसंधान अधिकारी दूरभाष: 0651–2341677	बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश।
6	**शिलांग** रबेका विला, टेम्पल रोड, लोअर लाचुमियर, शिलांग–793001	**श्रीमती मिरांडा ईंगुदम** निदेशक, दूरभाष: 0364–2504202	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।

भगवान बिरसा मुंडा

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

''बी'' विंग, छठा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
वेबसाइट : www.ncst.nic.in
शिकायत के लिए : www.ncstgram.gov.in
टोल फ्री नं. : 1800 11 77 77